न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 20/2018 नामान्तरकरण अपील

1. रूमाली पत्नि राजाराम जाति माली निवासी महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र (दत्तक पुत्र) सुखराम जाति माली निवासी महारिया तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1307 दिनांक 30.08.17 तहसीलदार लालसोट बाबत विरासत)

उपस्थिति :– 1. श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2. श्री मनोहर मुद्गल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः 04.09.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम महारिया तहसील लालसोट में आराजी खसरा नं. 240 रकबा 0.05 है., 241 रकबा 1.19 है. कुल रकबा 2.07 है. भूमि की खातेदारी साबिक में सुखराम पुत्र जेन्या के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि में सुखराम का हिस्सा 1/2 था। अपीलान्ट ने सुखराम पुत्र जेन्या से हिस्सा 1/2 की भूमि जरिये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 04.05.16 को क्रय की थी। जिसका उप पंजीयक लालसोट के यहां पंजीयन कराया था तथा सुखराम ने विक्रय के दिन ही अपीलान्ट को कब्जा वास्तविक रूप से करा दिया था। तब से आज दिन तक अपीलान्ट हिस्सा 1/2 की भूमि पर वास्तविक रूप से काबिज है। उक्त विक्रय पत्र की जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व उसकी जायन्दा पुत्री मंगली देवी को भी शुरू से ही है, परन्तु किन्ही कारणों से अपीलान्ट उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम नहीं खुलवा सका तथा बाबूलाल ने अपने को दत्तक पुत्र बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड में सुखराम के नाम खातेदारी होने का नाजायज फायदा उठाकर अपने नाम विरासत का नाम नामान्तरकरण खुलवाने का आदेश दिनांक 22.08.17 को करवाकर उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 30.08.17 को विरासत का नामान्तरकरण सं. 1307 तस्दीक करवा लिया तथा खातेदारी दर्ज करवा ली। इस प्रकार तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किये गये विरासत के नामान्तरकरण सं. 1307 दिनांक 30.08.2017 को खारिज करने तथा विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट स. 1 के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण दिनांक 4.9.2019 को प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

अति० जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र0 सं0 : 20/2018 नामान्तरकरण अपील

अधिवक्ता अपीलांट व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया तथा भूमि आराजी ख. नं. 240, 241 कुल रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा में से अपीलान्ट ने मृतक सुखराम से 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी। जिसका नामान्तरकरण नहीं खुल सका था। अब नामान्तरकरण सं. 1307 में सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम हो गई। जिस हेतु पक्षकारान में राजीनामा हो गया तथा अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा भूमि 8 बिस्वा का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम खुल जाता है तो रेस्पोडेन्ट सं. 1 को कोई आपत्ति नहीं है। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र राजीनामा प्रस्तुत कर विवादित भूमि में से विक्रय शुदा भूमि 8 बिस्वा का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में खोलने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् राजीनामा का भी भली प्रकार से अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि तहसीलदार लालसोट द्वारा नामान्तरकरण सं. 1307 दिनांक 30.08.2017 तस्दीक करते समय उक्त विवादगस्त आराजी में से विक्रय की गयी भूमि के क्रयकर्ता के संबंध मे जानकारी नहीं ली गई एवं मृतक सुखराम के वारिसान की जांच किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण तस्दीक कर कानूनी भूल की है। जबकि मृतक सुखराम के एक जायन्दा पुत्री मंगली देवी का होना भी अपील मे अपीलान्ट ने अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा खारिज किया जाना व अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा खारिज किया जाता है व अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1307 दिनांक 30.08.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि प्रकरण में विवादग्रस्त आराजी में से विक्रय की गई भूमि के क्रयकर्ता की व मृतक सुखराम के वास्तविक वारिसान की जॉच कर सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official